

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 167/2020

तारीख रजू 06.11.2020

हनुमान पुत्र बट्टी जाति बैरवा निवासी डाबिच बैरवान तह.खण्डार।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

----- रेस्पो०

निर्णय

दिनांक 23/2/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 358/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डाबिच के आराजी खसरा नम्बर 640/256 रकबा 1.00 बीघा किस्म बजंड बेहड पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काशत करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर खसरा नम्बर 640/256 रकबा 1.00 बीघा पर अपीलान्त का अतिक्रमण मानकर अपीलान्त के विरुद्ध फैसला किया गया है जबकि अपीलान्त द्वारा उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार की फसल काशत नहीं की गई ना फसल काशत जमीन है। यह है कि पटवारी हल्का की मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट कर गलत रूप से अपीलान्त के विरुद्ध नोटिस जारी करवाये गये जबकि ग्राम पंचायत व गावं के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या करने की शिकायत भी नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत शामिल नहीं है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में माना जावे। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त को स्वयं को तामील करवायी गयी। अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 09.10.2020 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर